भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1635

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

भेल की सौर विद्युत परियोजना

1635. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने हाल में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उक्त एमओयू की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) भेल को उक्त परियोजना हेतु आपूर्ति किए जाने वाले संभावित उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): जी, हां।

(ख): भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (आरईआईएल) ने राजस्थान के सांभर में 4000 मेगावाट की संचित क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना (यूएमएसपीपी) बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर, चरणबद्ध रूप से स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने हेतु 29 जनवरी, 2014 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सांभर में यूएमएसपीपी के नियोजित प्रथम चरण में 1000 मेगावाट और शेष 3000 मेगावाट क्षमता बाद के चरणों में विकसित की जाएगी। यह भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (एचआईएंडपीई), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) तथा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की एक पहल है।

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- जेवीसी में प्रस्तावित इक्विटी भागीदारी निम्नानुसार है:
  भेल-26%, एसईसीआई-23%, एसएसएल-16%, पावरग्रिड-16%, एसजेवीएनएल-16% तथा आरईआईएल-3%।
- जेवीसी, निश्चित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निगमित की जाएगी।
- जेवीसी, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के पर्यवेक्षणाधीन होगी।

- जेवीसी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संपूर्ण ऋण की व्यवस्था करेगी।
- जेवीसी कनेक्टिविटी, विद्युत के इवेकुऐशन और ट्रांसफर के लिए संगत विनियमों के अनुसार दीर्घकालिक/मध्यकालिक/अल्पकालिक ओपन एक्सेस के लिए आवेदन करेगी।
- जेवीसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अवसंरचना का सृजन और निर्माण करेगी।
- भेल, पहले चरण (अर्थात् 1000 मेगावाट) के लिए फोटो-वोल्टेक (पीवी) की आपूर्ति करेगी और सांभर स्थित परियोजना के अनुवर्ती चरणों (अर्थात् 3000 मेगावाट) तथा अन्य परियोजनाओं के लिए सेल्स और माड्यूलों की अस्वीकृति का पहला अधिकार भी उसके पास होगा। एसईसीआई विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर करेगी, एसएसएल सभी अनापत्तियों के साथ भूमि उपलब्ध कराएगी, पावरग्रिड बिजली इवेकुएट करेगी, एसजेवीएनएल परियोजना प्रबंधन में सहायता करेगी और आरईआईएल प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) करेगी।

(ग): सांभर में परियोजना के कार्यान्वयन के पहले चरण (अर्थात् 1000 मेगावाट) के दौरान आवश्यक सभी माड्यूलों की आपूर्ति उस विशिष्ट समय पर भेल की विनिर्माणकारी क्षमता के अध्यधीन भेल द्वारा नामांकन आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, इस परियोजना के अनुवर्ती चरणों (अर्थात् 3000 मेगावाट) तथा जेवीसी द्वारा विकसित अन्य परियोजनाओं के दौरान सौर पीवी सेल और माड्यूलों की आपूर्ति की अस्वीकृति का पहला
अधिकार भी भेल के पास होगा।

(घ): सभी अनुमोदनों और अनापत्तियों के प्राप्त होने की तारीख से 7 से 8 वर्ष।

*****